

राजस्थान सरकार

निदेशालय कोष एवं लेखा राजस्थान जयपुर

क्रमांक एफ 2 (क) जे 123/अलेसे-1/280

दिनांक 29.5.2017

कार्यालय आदेश

30.05.2017

विभागीय आदेश संख्या क्रमांक एफ 2 (क) जे 123/अलेसे-1/202 दिनांक 30.5.2016 के द्वारा राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) 1996 के नियम 151 एवं कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 31.3.2015 के प्रावधानों के अन्तर्गत श्री जगदीश नारायण माथुर, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-1 (सेवानिवृत्ति दिनांक 31.5.16 ) कार्यालय वित्त (नियम) विभाग सचिवालय, जयपुर को pay minues pension के आधार पर दिनांक 1.6.16 से 31.5.17 तक के लिए पुर्ननियुक्त किया गया था, की पुर्ननियुक्ति अवधि दिनांक 1.6.17 से 31.5.2018 अथवा नियमित नियुक्ति होने, जो भी पहले हो, तक बढ़ाई जाती है।

यह स्वीकृति वित्त विभाग की आई डी संख्या एफ 17001269 दिनांक 18.4.17 एवं कार्मिक विभाग की आई डी संख्या 570 /कार्मिक /क-2/ 17 दिनांक 18.5.17 के अनुसरण में जारी की जाती है।

(पंकज पाटनी)

निदेशक

क्रमांक एफ 2 (क) जे 123/अलेसे-1/280

दिनांक 29.5.2017

30.05.2017

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1- संयुक्त शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, राजस्थान जयपुर को उनके पत्र क्रमांक प.2(16)वित्त/राजस्व/2008 पार्ट 24.5.2017 के क्रम में
- 2 संयुक्त शासन सचिव, वित्त (नियम) विभाग, राजस्थान जयपुर
- 3- श्री जगदीश नारायण माथुर, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-1 (सेवानिवृत्ति दिनांक 31.5.16 ) कार्यालय वित्त (नियम)विभाग सचिवालय, जयपुर
- 4- अतिरिक्त निजी सचिव, निदेशक
- 5- उप निदेशक (एसीपी) कार्यालय हाजा को वेबसाईट पर अपलोड करने एवं पीआईएस में अपडेट
- 6- निजी पत्रावली

अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक प्रथम)